38

समक्षः न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर

निगरानी.क्र.   /2017

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/6025

दिनांक 11-12-17 को श्री जी.पी.एस. वर्धन अभि० द्वारा प्रस्तुत।

11-12-17

पेशी - 22-12-17

बैनी प्रसाद लोधी पुत्र श्री घासीराम, उम्र–65 वर्ष, निवासी– ग्राम परसोरिया तहसील कुरवाई जिला विदिशा (म.प्र.)

..................**आवेदक**

–बनाम–

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला विदिशा (म.प्र.)

........**अनावेदक**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 15.11.2017 जो प्र.क्र. 801ए/12–13 अपील में अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल केम्प विदिशा द्वारा पारित किया गया।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यह कि, आवेदक ने अपने स्वत्व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा क्रमांक 35/1 रक्वा 1.172 हे. में से 50x100 फिट यानि 5000 वर्गफिट भूमि का निजी आवास दहलान एवं कृषि कार्य के उपयोग हेतु कमरे बनाने व्यपवर्तन किये जाने हेतु आवेदन अंतर्गत धारा 172 म.प्र. भू–रा.संहिता का माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय कुरवाई के समक्ष प्रस्तत किया जिस पर से प्र.क्र. 18/अ–2/11–12 पंजीबद्ध किया तथा जांच अधिकारी द्वारा चाय की गुमठी व ढावे का उल्लेख करते हुए जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से माननीय अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई द्वारा दिनांक 24.08.2012 को धारा 172(4) के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करते हुये माननीय तहसीलदार महोदय कुरवाई को आदेश की प्रतिलिपि प्रेषित कर प्रविष्टि उपरांत 1,25,460/– रूपये की वसूली हेतु प्रेषित कर दिया। उक्त आदेश में ... को दिनांक 31.08.2012 को प्रातः 11:00 बजे शर्तों की सहमति हेतु

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय राजस्व मंडल, ग्वालियर 11/12/17

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/6025 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.01.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री अरुन दूदावत एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक का स्थगन आवेदन उस पर आरोपित अर्थदण्ड की वसूली पर रोक लगाना उचित न मानते हुए अस्वीकार किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। अपर आयुक्त को यह निर्देश दिए जाते हैं कि दो माह के अंदर आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण गुण–दोष पर विधिवत् करें। प्रशासकीय सदस्य	